फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी जलालाबाद

गुड्डीदेवी बनाम जे.डी.

...ख्या / वर्ष : 114 / 2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
25/8/22	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार [illegible] की कुर्रेजात रिपोर्ट पत्रांक 1021/22/2300 दिनांक 23/8/22 प्राप्त जिसे शामिल फाइल किया गया। पत्रावली दिनांक 30/8/22 को पेश हो।	
30/8/22	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा हड़ताल/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14/10/22 पेश हुई	
31/08/22	पत्रावली आपत्तिकर्ता की ओर से एक शीघ्र सुनवाई प्रा. पत्र एड० श्री रामस्वरूप शर्मा द्वारा प्रस्तुत करने पर पेश हुई। वकील वादी को तलबी हेतु नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 6/9/22 को पेश हो।	
6/9/22	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा हड़ताल/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/9/22 पेश हुई	
08/09/22	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष [illegible]। पूर्व में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस उभय पक्ष वकील सुनी गई। वकील उभय पक्ष ~~वकील~~ ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर अपनी सहमति दी। वकील उभय पक्ष की बहस सुनने, पत्रावली का अवलोकन करने पर तहसीलदार द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट [illegible]	

क्र.सं	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		को स्वीकार कर तहसीलदार व वकील उभय पक्ष की उपस्थिति में वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार को भिजवाई जावे। मसावली कोड़ल गुजार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला–जयपुर

ायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ बइजलास श्री चिमनलाल मीना R.A.S

ाल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
/2019	25/06/2019	08/09/2022

ड्डी देवी पत्नि राधेश्याम जाति महाजन निवासी ग्राम नेवर तहसील जमवारामगढ़।

वादिया

बनाम

ेमदेवी पत्नि गोपीलाल जाति मीना निवासी ग्राम नेवर तहसील जमवारामगढ़।
ाधेश्याम पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी ग्राम नेवर तहसील जमवारामगढ।
राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जमवारामगढ हाल आंधी, जिला जयपुर।
राजस्थान सरकार जरिए उप पंजीयक जमवारामगढ हाल आंधी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

ा अभिभावक

न्द शर्मा :– वकील वादिया

स्वरूप शर्मा :– वकील प्रतिवादी सं0 1

वाद अन्तर्गत धारा–53, 188 बटंवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा रा0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादिया ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 2 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 292 । बिस्वा गै0मु0चाह व खसरा नम्बर 293 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि वाके ग्राम नेवर मण्डल नेवर तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित खातेदारी वादिया का अविभाजित हिस्सा 1/3 भाग स्थित है। व प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा ाग, प्रतिवादी सं0 2 का हिस्सा 1/3 स्थित है। जो कि राजस्व रिकार्ड में वादिया व ी सं0 1 ता 2 के नाम से दर्ज चली आ रही है और इसी कदर वादिया व प्रतिवादी ता 2 मौखिक बटवारा कर अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ और इसी अनुपात में राजस्व लगान अदा करते आ रहे है। वादिया ने अपने बाहमी मनबट अनुसार आई अपने हिस्से की भूमि पर तारबन्दी करवाकर अपनी स्वयं की लागत से बोरिंग मय विधुत कनेक्शन करवाकर भूमि की पीलाई करते हुए काबिज काश्त आ रही है। किन्तु उक्त भूमि जिन्हे आगे विवादित भूमि कहा गया है, का विधिवत ा नही हुआ है।

ाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर फरमाया जावे सरा नम्बर 292 रकबा 1 बिस्वा गै0मु0चाह व खसरा नम्बर 293 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

के ग्राम नेवर पटवार मण्डल नेवर तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित का तकास्मा वाद खण्ड 2 (दो) अनुरूप हिस्सानुसार बाई मिट्स एण्ड आउण्ड्स किया राजस्व रिकार्ड व लगान अलग–अलग कायम किया जावें। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 ये साश्वत निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वादिया को उनके हिस्से की भूमि मय विधुत कनेक्शन मोटर पम्प सेट से उपयोग उपभोग से बेदखल नही करें, किसी का कच्चा–पक्का निर्माण नही करें, पुख्ता निर्माण नही करें, बाउण्ड्रीवाल नही बनवावें, ी खोदें, बिना विधिक तकास्मा किसी अजनबी केता को विवादित भूमि का बैचान न ही कब्जा सुपुर्द करें, उक्त समस्त कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें ना ही अपने सर्वेन्ट, मु0आम, मु0खास, परिवाजन, ठेकेदार आदि से करावें।

प्रकरण में दिनांक 31/07/2019 को किये गये प्राथमिक डिकी आदेश जारी गये। पालना में तहसीलदार आंधी से कर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार आंधी अपने ांक/एलआर/22/2300 दिनांक 23.03.2022 से संलग्न कर कुर्रेजात रिपोर्ट तीन में पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस उभयपक्ष सुनी गई उभयपक्ष द्वारा कुर्रेजात करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी के द्वारा बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया, भूमिधारी तहसीलदार आंधी के द्वारा दोनो न की उपस्थिति में बटवारा कर बटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत की। भूमिधारी तहसीलदार मगढ़ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। जिस पर उभयपक्षकारान ने अपनी सहमति दी : वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम नेवर पटवार मण्डल नेवर जमवारामगढ हाल आंधी जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 292 रकबा 1 गै0मु0चाह व खसरा नम्बर 293 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा का तकासमा कराया जाकर वं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता ो मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

–: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
राधेश्याम पुत्र मोहनलाल 1/3, गुड्डी देवी पत्नि राधेश्याम 1/3, जाति महाजन सा0देह प्रेमदेवी पत्नि गोपीलाल हि0 1/3 जाति मीना सा0देह	292 293	0.0126 0.5817	गै0मु0चाह बंजड 2	– –
योग	2	0.5943	–	–

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

–: प्रस्तावित :–

प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
राधेश्याम पुत्र मोहनलाल हि0 1/2, गुड्डी देवी पत्नि राधेश्याम हि0 1/2 जाति महाजन सा0देह	293/1	0.3962	बंजड 2	–
योग	293/1	0.3962	–	–
प्रेमदेवी पत्नि गोपीलाल जाति मीना सा0देह	292 293	0.0126 0.1855	गै0मु0चाह बंजड 2	–
योग	2	0.1981	–	–

परोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की थ ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है गण एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

र्णय आज दिनांक 08/09/2022 को मैरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय गया।

08/9/22

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ